रजिस्ट्री सं. जी-3/डी एल (एन) 04/0009/2003-05 REGD. No. G-3/DL (N)-04/0009/2003—05

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-सा.-09092026-276054
SG-DL-W-09092026-276054

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 13] दिल्ली, अगस्त 28— सितम्बर 03, 2026, बृहस्पतिवार/ भाद्र 06— भाद्र 12, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 190, 191
No. 13] DELHI, AUGUST 28 — SEPTEMBER 03, 2026, THURSDAY/ BHADRA 06— BHADRA 12, 1948 [N.C.T.D. No. 190, 191

भाग—II खण्ड—1
PART—II Sec.—1

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन

Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters; reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 28 मार्च, 2026

सं. 31/स्था.I/ई.I-2/डीएचसी.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश 'दिल्ली उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम 1972' की अनुसूची-II(क) के क्रम संख्या 12 को सहर्ष संशोधित करते हैं, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

क्र.सं.	पद की श्रेणी एवं वेतन स्तर	पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताएँ	नियुक्ति का माध्यम	
1	**2**	**3**	**4**	
12.	**पुस्तकालयाध्यक्ष (पदोन्नति/चयन पद)** (सातवें वेतन आयोग का वेतन स्तर-11)	**क. वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु -** अनुसूची-I(क) में उल्लिखित श्रेणी 19 (वरिष्ठ सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष) में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित स्नातक (विधि स्नातक को वरीयता)।	**क.**	अनुसूची-I(क) में उल्लिखित श्रेणी 19 (वरिष्ठ सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष) से 50% पद वरिष्ठता-सह-योग्यता के

				आधार पर पदोन्नति द्वारा।
		ख.(i) विभागीय परीक्षा हेतु - इस न्यायालय के कर्मचारियों हेतु: श्रेणी 19 (वरिष्ठ सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष) में 5 वर्ष की नियमित सेवा या श्रेणी 24 (सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष) में 7 वर्ष की नियमित सेवा सहित स्नातक (विधि स्नातक को वरीयता)।	**ख.(i)**	लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार ** के माध्यम से 50% पद योग्यता के आधार पर चयन द्वारा, बशर्ते कि एसीआर मानक मापदंड पूरा करने के अध्यधीन, ऐसा न होने पर;
		ख.(ii) सीधी भर्ती हेतु: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-10 वाले पद पर पुस्तकालय कार्य में 3 वर्ष के अनुभव या सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-8 पर और/या उससे ऊपर 5 वर्ष के अनुभव या सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-7 पर 7 वर्ष के अनुभव, उच्च वेतन स्तरों के पद(पदों) पर की गई सेवा को शामिल करते हुए, पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री अथवा डिप्लोमा सहित स्नातक (विधि स्नातक को वरीयता)।	**ख(ii)**	लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार ** के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

** विभागीय परीक्षा के साथ-साथ सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति करते समय मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार के अंक लिखित परीक्षा के कुल अंकों के 15% से अधिक नहीं होंगे।

** साक्षात्कार में कोई न्यूनतम अर्हक अंक नहीं होंगे।

नोट: उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

न्यायालय के आदेशानुसार,

अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 28th March, 2026

No. 31/Estt.I/EI-2/DHC.—In exercise of the powers vested under Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice of this Court has been pleased to amend S.No. 12 of the Schedule-II (A) to the 'Delhi High Court Establishment (Appointment and Conditions of Service) Rules 1972' so as to read as under:-

S. NO.	CATEGORY OF POST AND PAY LEVEL		MINIMUM QUALIFICATION PRESCRIBED FOR APPOINTMENT TO THE POST	MODE OF APPOINTMENT	
1	**2**		**3**	**4**	
12.	**Librarian (Promotion/ Selection Post)** (Pay Level-11 of 7th Pay Commission)	**a.**	**a. For promotion by seniority-** Graduate (Law Graduate to be preferred) with 5 years' regular service in category 19 (Senior Assistant Librarian) mentioned in Schedule-I(A).	**a.**	50% of the posts by promotion on the basis of seniority-cum-merit from category 19 (Senior Assistant Librarian) mentioned in Schedule-I(A).
		b.	**b.(i) For Departmental Examination -** For officials of this Court: Graduate (Law Graduate to be preferred) with 5 years' regular service in category 19 (Senior Assistant Librarian) or 7 years' regular service in category 24 (Assistant	**b.(i)**	50% of the posts by selection on merit on the basis of written test and interview**, subject to fulfillment of ACR's benchmark criteria, **failing which;**

		Librarian). **b.(ii) For Direct Recruits:** Graduate (Law Graduate to be preferred) possessing a degree or diploma in Library Science with 3 years' experience in Library work in a post carrying Pay Level 10 of 7th Central Pay Commission or 5 years' in Pay Level 8 and/or above of 7th Central Pay Commission or 7 years' in Pay Level-7 of 7th Central Pay Commission, including the service rendered, on the post(s) in the higher pay levels.	**b.(ii)**	By direct recruitment on the basis of written Test and interview**.

** Viva-voce/interview marks shall not be more than 15% of the total marks of the written examination while making appointment through departmental examination as well as direct recruitment.

** There will be no minimum qualifying marks in the interview.

Note: The above amendment shall come into force with immediate effect.

By Order of the Court,

ARUN BHARDWAJ, Registrar General

अधिसूचना

दिल्ली, 2 अप्रैल, 2026

सं. 35/स्था.1/ई.1-2/डीएचसी.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश 'दिल्ली उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम 1972' की अनुसूची-II(क) के क्रम संख्या 11(ख)(i) पर 'निजी सचिव' के पद हेतु भर्ती नियमों को, उसके अंतर्गत "पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताएँ" शीर्षक के तहत उसमें उल्लिखित/समाहित शब्दों **'और दिल्ली न्यायिक अकादमी'** को हटाते हुए, सहर्ष संशोधित करते हैं।

न्यायालय के आदेशानुसार,

अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd April, 2026

No. 35 /Estt.I/EI-2DHC.—In exercise of the powers vested under Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice of this Court has been pleased to amend the Recruitment Rules for the post of 'Private Secretary' at S. No. 11(b)(i) of the Schedule-II(A) to the 'Delhi High Court Establishment (Appointment and Conditions of Service) Rules 1972', by deleting the words **'and Delhi Judicial Academy'** mentioned/contained therein under the heading "Minimum Qualifications prescribed for Appointment to the Posts".

By Order of the Court,

ARUN BHARDWAJ, Registrar General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.09.09 10:42:15 +05'30'